संसद सदस्यों को देय वेतन, भत्ते और सुविधाएं एक झलक

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

संसद सदस्यों को देय वेतन, भत्ते और सुविधाएं

एक झलक

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

संख्या 10/2 लार्डिस/पार्लि./2014

© 2014 **लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली**

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मै. जैनको आर्ट इंडिया, 13/10, डब्ल्यू.ई.ए., करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।

आमुख

भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 में उपबंध किया गया है कि संसद के प्रत्येक सदन के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते, जिन्हें संसद, समय-समय पर, विधि द्वारा निर्धारित करे, प्राप्त करने के हकदार होंगे। संवैधानिक उपबंध के अनुसरण में अधिनियमित संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों को शासित करता है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत चिकित्सा, आवास, टेलीफोन सुविधाओं आदि के लिए उपबंध करने तथा दैनिक एवं यात्रा भत्ते के भुगतान को विनियमित करने के लिए दोनों सदनों की समय-समय पर गठित संयुक्त समिति भारत सरकार के साथ परामर्श कर नियम बनाती है। बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में समय-समय पर संशोधन किए गए हैं।

इस प्रकाशन में लोक सभा सदस्यों को उपलब्ध वेतन, भत्तों, अन्य हकदारियों एवं सभी सुख-सुविधाओं और सुविधाओं से संबंधित समस्त जानकारी एक ही जगह प्रदान करने की कोशिश की गई है, ताकि सदस्य, विशेष रूप से नवनिर्वाचित सदस्य, एक ही झलक में इनसे अवगत हो सकें। तथापि, इस प्रकाशन में जानकारी विस्तारपूर्वक नहीं दी गई है और विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए सदस्य प्रत्येक प्रविष्टि के अंत में मोटे अक्षरों में यथा उल्लिखित सचिवालय की संबंधित शाखा से संपर्क कर सकते हैं।

मैं आशा करता हूं कि यह प्रकाशन सदस्यों के लिए सूचनाप्रद एवं उपयोगी सिद्ध होगा। इसमें और अधिक सुधार के लिए सुझावों का स्वागत है।

नई दिल्ली;
मई, 2014
वैशाख, 1936 (शक)

पी. श्रीधरन,
महासचिव ,
लोक सभा।

विषय-सूची

पृष्ठ

आमुख .... (i)

अध्याय एक

वेतन, भत्ते और अन्य हकदारियां

1. वेतन और भत्ते 1
2. यात्रा भत्ता और यात्रा सुविधाएं 2
3. आवास 5
4. टेलीफोन सुविधाएं 7
5. पानी और बिजली 8
6. चिकित्सा सुविधाएं 9
7. वाहन खरीदने हेतु अग्रिम राशि 10
8. आयकर सुविधाएं 10
9. कम्प्यूटर खरीदने हेतु लोक सभा सदस्यों की वित्तीय पात्रता संबंधी योजना 11

अध्याय दो

सुख-सुविधाएं और अन्य सुविधाएं

1. वैयक्तिक आरएफ टैग/कार पार्किंग लेबल/वाहन आरएफ टैग/वैयक्तिक सहायक/निजी सचिव पास/दर्शक दीर्घा पास 13

पृष्ठ

2. परिवहन सुविधाएं

(एक) परिवहन डेस्क के माध्यम से फेरी वाहन ... 16

(दो) संसदीय सौध के बाहर टैक्सियां और स्कूटर 16

(तीन) रेल बुकिंग 16

(चार) विमान टिकट बुकिंग 17

3. बैंकिंग सुविधाएं 17

4. राजनयिक पासपोर्ट 18

5. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद संपर्क कार्यालय...... 18

6. तेल कंपनियों का एलपीजी सेवा फलक 19

7. सदस्यों के आवासीय स्थानों पर सुरक्षा प्रबंध 19

8. सेना वाहनों की बिक्री 20

9. खान-पान सेवाएं 20

10. केंद्रीय भंडार 22

11. स्टील के लॉकर्स 22

12. प्रकाशन फलक 23

13. लेखन सामग्री और शुभकामना कार्ड 23

14. भारत का राजपत्र 24

15. क्लब सुविधाएं 24

16. डाकघर 25

पृष्ठ

अध्याय तीन

सामान्य सहायता

1.	सदस्यों को वेतन, यात्रा और दैनिक भत्ते का भुगतान	26
2.	सदस्यों के लिए आशुलिपिक सहायता	27
3.	संसदीय सूचना कार्यालय	27
4.	वितरण शाखा	28
5.	विधायी शाखा	29
6.	शोध और सूचना सेवा	29
7.	सदस्य परिचय प्रकोष्ठ—सोलहवीं लोक सभा	29
8.	संसद ग्रंथालय	30
9.	सदस्य संदर्भ सेवा	32
10.	प्रलेखन	33
11.	प्रेस कतरन	34
12.	रेप्रोग्राफी सेवा	34
13.	श्रव्य-दृश्य सेवा	35
14.	संसदीय संग्रहालय और अभिलेखागार	36
15.	संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो	36
16.	प्रेस और जन संपर्क	38
17.	लोक सभा टेलीविजन	38
18.	साथ-साथ भाषांतरण सेवा	39
19.	कल्याण शाखा	39
20.	भारतीय संसदीय ग्रुप की सदस्यता	40

पृष्ठ

अध्याय चार

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति.. 41

अध्याय पांच

पूर्व संसद सदस्यों के लिए सुविधाएं. 43

महत्वपूर्ण दूरभाष 46

अनुक्रमणिका 49

अध्याय एक

वेतन, भत्ते और अन्य हकदारियां

1. वेतन और भत्ते

सदस्यों के वेतन और भत्ते समय-समय पर यथासंशोधित संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा शासित होते हैं।

मासिक वेतन

- लोक सभा और राज्य सभा का प्रत्येक सदस्य अपने पूरे कार्यकाल के दौरान 50,000/- रुपये प्रति माह का वेतन प्राप्त करने का हकदार है। (किसी सदस्य का कार्यकाल निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रारंभ होता है और उस तारीख को समाप्त हो जाता है जिस दिन वह स्थान रिक्त हो जाता है।)

दैनिक भत्ता

- कर्तव्य पालन हेतु निवास के प्रत्येक दिन के लिए 2000/- रुपए प्रतिदिन (दैनिक भत्तों का भुगतान केवल तभी किया जाएगा जब कोई सदस्य इस प्रयोजनार्थ रखे गए रजिस्टर पर हस्ताक्षर करता है)।

निर्वाचन क्षेत्र भत्ता

- 45,000/- रुपए प्रति माह

कार्यालय व्यय भत्ता

- 45,000/– रुपए प्रति माह

  (जिसमें से 15,000/– रुपए लेखन सामग्री मदों और डाक पर व्यय की पूर्ति के लिए और 30,000/– रुपए लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय द्वारा ऐसे व्यक्तियों को दिए जाते हैं जिन्हें संसद सदस्य द्वारा सचिवालयीय सहायता प्राप्त करने के लिए रखा गया हो बशर्ते कि उनमें से एक व्यक्ति सदस्य द्वारा यथाप्रमाणित कम्प्यूटर की जानकारी रखता हो।)

  [संसद सदस्य वेतन और भत्ता (एमएसए) शाखा
  कमरा सं. 405, चौथा तल, संसदीय सौध
  दूरभाष: (011) 23034405, 23034407
  ई–मेल: msabranch-lss@sansad.nic.in]

2. यात्रा भत्ता (टी.ए.) और यात्रा सुविधाएं

क. यात्रा भत्ता

संसद के किसी सत्र अथवा संसदीय समिति की किसी बैठक में भाग लेने के लिए या सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों से संबंधित किसी अन्य कार्य हेतु उपस्थित होने के लिए अपने सामान्य निवास स्थान से अपने कार्यस्थल तक और ऐसे स्थल से अपने सामान्य निवास स्थान तक की वापसी यात्रा के लिए प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित भत्तों का हकदार है:

- **रेल द्वारा यात्रा:** किसी भी रेलगाड़ी का वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या एक्जिक्यूटिव श्रेणी का एक निःशुल्क अहस्तांतरणीय पास तथा प्रथम श्रेणी के एक टिकट और द्वितीय श्रेणी के एक टिकट का किराया।
- **विमान द्वारा यात्रा:** जिस विमान से वह यात्रा कर रहा हो, उसके एक टिकट का विमान किराया एवं उसकी एक–चौथाई राशि।
- **सड़क मार्ग द्वारा यात्रा:** 16/– रुपए प्रति किलोमीटर

ख. यात्रा सुविधाएं

(एक) विमान यात्रा सुविधाः प्रत्येक सदस्य को पति/पत्नी अथवा कितनी भी संख्या में अपने सहचरों या संबंधियों के साथ एक वर्ष में 34 एकल हवाई यात्राएं करने की सुविधा दी गई है। सदस्य की पत्नी/पति/सहचर सदस्य से मिलने के लिए एक वर्ष में अकेले आठ बार यात्रा कर सकता/सकती है। सदस्य की पत्नी/पति, सहचर अथवा संबंधी द्वारा की गई कोई भी यात्रा 34 हवाई यात्राओं की अधिकतम सीमा का परिकलन करते समय जोड़ी जाएगी।

किसी वर्ष की अप्रयुक्त शेष हवाई यात्राएं अगले वर्ष के लिए अग्रनीत कर दी जाएगी। यदि कोई सदस्य एक वर्ष में 34 से अधिक विमान यात्राएं करता है तो उसे आठ से अनधिक यात्राओं को अगले वर्ष के लिए उपलब्ध यात्राओं में समायोजित करने की अनुमति होती है।

(दो) रेल यात्रा सुविधाः प्रत्येक सदस्य अपने पहचान पत्र के आधार पर भारत में किसी भी समय किसी भी रेलवे में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी अथवा एक्जिक्यूटिव श्रेणी में यात्रा करने का हकदार है। सदस्य को जारी किया गया पहचान पत्र अहस्तांतरणीय होता है। इस पहचान पत्र के आधार पर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करते समय सदस्य के साथ एक व्यक्ति वातानुकूलित टू-टियर में यात्रा कर सकता है।

(तीन) प्रत्येक सदस्य की पत्नी/के पति के लिए सुविधाएंः संसद सत्र के दौरान सामान्य (प्रायिक) निवास स्थान से दिल्ली तक आने-जाने के लिए एक वर्ष में 8 बार से अनधिक यात्रा करने हेतु एक निःशुल्क अहस्तांतरणीय वातानुकूलित प्रथम श्रेणी अथवा एक्जिक्यूटिव श्रेणी का रेल पास और यदि ऐसी यात्रा वायुमार्ग द्वारा की जाती है तो विमान किराए के बराबर धनराशि।

(चार) सदस्य की पत्नी/के पति सदस्य के साथ भारत में किसी भी स्थान से किसी भी अन्य स्थान पर जाने के लिए सभी रेलगाड़ियों में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी अथवा एक्जिक्यूटिव श्रेणी में यात्रा करने के भी हकदार हैं। सदस्य जिसकी/जिसका पत्नी/पति न हो, वह उनके स्थान पर किसी भी अन्य व्यक्ति को भारत में किसी भी स्थान से किसी अन्य स्थान पर किसी भी रेलगाड़ी में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी अथवा एक्जिक्यूटिव श्रेणी में ले जाने का हकदार होगा और यह सुविधा सदस्य को पहले से उपलब्ध वातानुकूलित टू-टियर में किसी सहचर को साथ ले जाने की सुविधा के अतिरिक्त होगी।

शारीरिक रूप से निःशक्त सदस्यों के लिए सुविधाएं

शारीरिक रूप से निःशक्त कोई भी सदस्य निम्नलिखित सुविधाओं का हकदार है:

- **विमान द्वारा यात्राः** सहचर के लिए एक अतिरिक्त हवाई किराया।
- **रेल द्वारा यात्राः** वातानुकूलित टू-टियर श्रेणी के रेलवे पास के बदले में एक सहचर के लिए उस श्रेणी का पास जिस श्रेणी में सदस्य यात्रा करता हो।
- **सड़क मार्ग द्वारा यात्राः** सड़क माइलेज। शारीरिक रूप से निःशक्त कोई सदस्य जो रेल या विमान द्वारा यात्रा नहीं कर सकता हो, वह सड़क मार्ग द्वारा की गई संपूर्ण यात्रा के लिए सड़क माइलेज का हकदार होगा।

[सदस्य वेतन और भत्ता (एमएसए) शाखा
कमरा सं. 405, चौथा तल, संसदीय सौध
दूरभाषः (011) 23034405, 23034407
ई-मेलः msabranch-lss@sansad.nic.in]

3. आवास

(एक) अस्थायी आवासः

- लोक सभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात् संपदा निदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय से परामर्श के बाद नई दिल्ली में राज्य सरकारों के अतिथि गृहों/भवनों, होटलों आदि में सदस्यों के लिए अस्थायी निवास की व्यवस्था की जाती है। ऐसे आवास को अस्थायी आवास माना जाता है।
- अस्थायी आवास में ठहरने के दौरान सदस्य को तब तक के लिए बिना लाइसेंस शुल्क के सिंगल स्यूट प्रदान किया जाता है जब तक कि उसे नियमित आवास उपलब्ध नहीं करा दिया जाता। तथापि, सदस्यों को राज्य अतिथि गृहों/भवनों, होटल आदि में उनके ठहरने के दौरान भोजन और टेलीफोन के प्रभार आदि सहित अन्य अतिरिक्त सेवाओं के प्रभार का भुगतान सीधे संबंधित प्राधिकारियों को करना होगा।
- सदस्यों के अनुरोध पर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड उनके अस्थायी आवास पर एक अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन लगाएगा और अतिथि गृहों में ठहरने के दौरान किए गए टेलीफोन कॉलों को एक वर्ष के दौरान अनुमत्य कुल निःशुल्क कॉलों में समायोजित किया जाएगा।

(दो) नियमित आवासः

- प्रत्येक सदस्य अपने पूरे कार्यकाल के दौरान किराया मुक्त फ्लैट अथवा होस्टल आवास का हकदार होगा। किसी सदस्य को उसके अनुरोध पर बंगले के रूप में आवास आबंटित किए जाने की स्थिति में वह पूरे सामान्य लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेगा, बशर्ते कि वह ऐसे आवास के लिए हकदार हो।

- लोक सभा सदस्य अथवा उनके परिवार, सदस्य का कार्यकाल समाप्त होने अथवा त्यागपत्र देने/हटाए जाने अथवा लोक सभा का सदस्य न रहने के बाद उतने ही किराया/लाइसेंस शुल्क, यदि कोई हो, जो वे उपयुक्त कारणों में से कोई कारण होने से तुरंत पूर्व दे रहे थे, का भुगतान करके अधिकतम एक मास की अवधि के लिए सरकारी आवास में रह सकता है।

- यदि किसी सदस्य का निधन हो जाता है तो उसका परिवार, उसके सरकारी निवास स्थान को उतने ही किराया/लाइसेंस शुल्क, यदि कोई हो, जो सदस्य के निधन से पूर्व दिया जा रहा था, का भुगतान करके अधिकतम छह मास की अवधि तक सरकारी आवास में रह सकता है।

(तीन) अतिथि आवासः

सदस्यों के अतिथि वेस्टर्न कोर्ट हॉस्टल, जनपथ में आवास ले सकते हैं।

[सदस्य सेवा शाखा, कमरा सं. 402
चौथा तल, संसदीय सौध
दूरभाषः (011) 23034402, 23034452
ई-मेलः msbranch-lss@sansad.nic.in]

[वेस्टर्न कोर्ट, जनपथ, नई दिल्ली
दूरभाषः (011) 23341238]

(चार) अन्य सुविधाएंः

सदस्यों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं में शामिल हैं–प्रत्येक तीन मास में सोफे के कवर और परदे की धुलाई; टिकाऊ फर्नीचर की स्थिति में 60,000 रु. और गैर-टिकाऊ फर्नीचर के

लिए 15,000 रु. की अधिकतम वित्तीय सीमा के अध्यधीन फर्नीचर की सुविधा और आवास में किए गए किसी भी सुधार या वृद्धि के लिए अथवा फर्नीचर, विद्युत उपकरण और अन्य सेवाओं के रूप में इसमें उपलब्ध कराई गई किसी अतिरिक्त सेवा के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान करना होगा जो इस प्रकार के सुधार, वृद्धि अथवा अतिरिक्त सेवा के संबंध में देय सामान्य किराए से 25 प्रतिशत कम होगी।

[सदस्य सेवा शाखा, कमरा सं. 402
चौथा तल, संसदीय सौध
दूरभाषः (011) 23034402, 23034452
ई-मेलः msbranch-lss@sansad.nic.in]

4. टेलीफोन सुविधाएं

- कोई भी सदस्य तीन टेलीफोनों की सुविधाओं का हकदार है जिनमें से एक टेलीफोन दिल्ली में उसके आवास अथवा कार्यालय में और दूसरा उसके प्रायिक आवास अथवा निर्वाचन क्षेत्र में उसके चयनित स्थान पर अथवा उस राज्य में जहां सदस्य रहता हो, लगाया जाना चाहिए। तीसरा टेलीफोन उपर्युक्त स्थान में से किसी भी स्थान पर लगाया जा सकता है।
- तीनों में से प्रत्येक टेलीफोन पर एक वर्ष के दौरान 50,000 स्थानीय कॉलें निःशुल्क होंगी।
- इन 50,000 निःशुल्क स्थानीय कॉलों को एक साथ जोड़ा जा सकता है, जो एक वर्ष में 1,50,000 स्थानीय कॉल होंगी।
- प्रत्येक सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में उपयोग हेतु राष्ट्रीय रोमिंग सुविधायुक्त एमटीएनएल के एक मोबाइल फोन कनेक्शन तथा एमटीएनएल/बीएसएनएल के एक और

मोबाइल फोन कनेक्शन अथवा एमटीएनएल/बीएसएनएल की सेवाएं उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में किसी भी निजी मोबाइल ऑपरेटर के मोबाइल कनेक्शन का भी हकदार है। इन मोबाइल फोनों से की गई कॉलों को उसे तीन टेलीफोनों पर उपलब्ध उपर्युक्त 1,50,000 नि:शुल्क स्थानीय कॉलों में समायोजित किया जाएगा।

- एमटीएनएल/बीएसएनएल द्वारा दी जा रही 3जी सुविधा सदस्यों के लिए वैकल्पिक है। 3जी पैकेज के साथ-साथ इस सेवा के अतिरिक्त प्रयोग के प्रभारों को सदस्य को उपलब्ध उपर्युक्त 1,50,000 नि:शुल्क स्थानीय कॉलों के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा।

[सदस्य सेवा शाखा, कमरा सं. 402
चौथा तल, संसदीय सौध
दूरभाष: (011) 23034402, 23034452
ई-मेल: msbranch-lss@sansad.nic.in]

[संपर्क अधिकारी, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड/
भारत संचार निगम लिमिटेड, कमरा सं. 520
पांचवां तल, संसदीय सौध
दूरभाष: (011) 23034520, 23034477]

5. पानी और बिजली

- दिल्ली/नई दिल्ली में सदस्य को आबंटित आवास पर अथवा दिल्ली में निजी आवास में रह रहे सदस्य को प्रति वर्ष 1 जनवरी से शुरू हुए वर्ष के लिए 4000 किलो लीटर पानी और 50000 यूनिट बिजली (25000 यूनिट लाइट मीटर पर और 25000 यूनिट पावर मीटर पर या दोनों को मिलाकर) की मुफ्त आपूर्ति की जाती है।

- बिजली और पानी के उपर्युक्त यूनिटों में से बचे यूनिटों को आगामी वर्ष में उपयोग के लिए अग्रनीत किया जाता है और किसी विशेष वर्ष में अतिरिक्त खपत को अगले वर्ष के लिए उनके उपलब्ध यूनिटों में समायोजित किया जाता है।

[सदस्य सेवा शाखा, कमरा सं. 402
चौथा तल, संसदीय सौध
दूरभाषः (011) 23034402, 23034452
ई-मेलः msbranch-lss@sansad.nic.in]

6. चिकित्सा सुविधाएं

- संसद सदस्य केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत वैसी ही चिकित्सा सुविधाओं का हकदार होता है जो केंद्रीय सिविल सेवा के श्रेणी-1 अधिकारियों को उपलब्ध है।
- संसद सदस्यों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने और संसद भवन परिसर की प्रसीमा में उत्पन्न प्राथमिक चिकित्सा आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष की लॉबी में एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और संसदीय सौध के निम्न तल में एक चिकित्सा केंद्र वर्ष भर काम करता है।

[प्राथमिक चिकित्सा केंद्र
संसद भवन (केन्द्रीय कक्ष लाउंज)
दूरभाषः (011) 23017275]

- चिकित्सा केंद्र में एक्स-रे, अल्ट्रा-साउंड, ईसीजी, रोग विज्ञान प्रयोगशाला सुविधाएं तथा हृदय, दंत, नेत्र, कान नाक गला, स्त्री रोग, चर्म, अस्थि, मनोरोग मेह८परामर्श और शल्य विशेषज्ञ की सेवाएं भी सप्ताह के नियत दिन उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त आहारविद, बाल चिकित्सा विशेषज्ञ, फिजियोथैरेपिस्ट की सेवाएं भी सप्ताह के नियत दिनों में

उपलब्ध हैं। यह चिकित्सा केंद्र प्रत्येक संसद सदस्यों के स्वास्थ्य संबंधी स्थिति के रिकार्ड का रख-रखाव भी करता है।

[चिकित्सा केंद्र, संसदीय सौध (निम्न तल)
दूरभाष: (011) 23034100, 23034500]

[सदस्य सेवा शाखा, कमरा सं. 402
चौथा तल, संसदीय सौध
दूरभाष: (011) 23034402, 23034452
ई-मेल: msbranch-lss@sansad.nic.in]

7. वाहन खरीदने हेतु अग्रिम राशि

- वाहन खरीदने के लिए सदस्य को 4,00,000 रु. तक की अग्रिम राशि दी जाती है।

- सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऋण के अनुसार ही उक्त अग्रिम राशि और उस पर ब्याज की वसूली संबंधित सदस्य के वेतन बिल से 60 से अनधिक बराबर मासिक किस्तों में की जाएगी और यह अवधि सदस्य के कार्यकाल से अधिक नहीं होगी।

[सदस्य वेतन और भत्ता (एमएसए) शाखा
कमरा सं. 405, चौथा तल, संसदीय सौध
दूरभाष: (011) 23034405, 23034407
ई-मेल: msbranch-lss@sansad.nic.in]

8. आयकर सुविधाएं

- आयकर के प्रयोजनार्थ, सदस्य द्वारा प्राप्त वेतन और भत्तों पर 'अन्य स्रोतों से प्राप्त आय' शीर्ष के अंतर्गत कर लगाया जाता है और परिणामस्वरूप स्रोत पर आयकर की कटौती नहीं की जाती। दैनिक भत्ते और यात्रा भत्ते पर आयकर नहीं लगता।

- सदस्य को मिलने वाले कुल तीन हजार रुपए की राशि से अनधिक अन्य सभी भत्तों पर भी आयकर नहीं लगता।

- संसद सदस्यों को, आयकर रिटर्न भरने में सहायता करने और आयकर भुगतान के संबंध में उनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा संसदीय सौध में पूरे वर्ष के लिए एक आयकर प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है।

[आयकर प्रकोष्ठ, सभागार का पिछला कक्ष
भूतल, संसदीय सौध
दूरभाषः (011) 23034062]

9. कम्प्यूटर खरीदने हेतु लोक सभा सदस्यों की वित्तीय पात्रता संबंधी योजना

- कम्प्यूटर उपकरण (लोक सभा सदस्य) नियम 2009 (लोक सभा की वेबसाइट पर उपलब्ध), के उपबंध के अंतर्गत लोक सभा सदस्य, जो आम चुनाव में निर्वाचित हुआ है/राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित किया गया है अथवा उप-चुनाव में निर्वाचित हुआ है/राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित किया गया है और जिसका लोक सभा में 3 वर्ष का कार्यकाल शेष है 2 लाख रु. अथवा 150000/- रु. तक की अधिकतम मौद्रिक सीमा के भीतर लोक सभा की अवधि के दौरान, जैसी भी स्थिति हो, कम्प्यूटर उपकरण अर्थात् डेस्कटॉप, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, पामटॉप, ई-रीडर आदि खरीदने का हकदार है। यदि कोई सदस्य बिना ई-रीडर वाला कम्प्यूटर उपकरण खरीदना पसंद करता है तो ऐसी स्थिति में वित्तीय हकदारी 150000 रुपये अथवा 1 लाख रुपए, जैसी भी स्थिति हो, तक सीमित होगी।

- *भुगतान/प्रतिपूर्ति हेतु पालन की जाने वाली पद्धति:* सदस्य मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) के अधिकृत डीलर से कम्प्यूटर उपकरण खरीद सकते हैं और प्रतिपूर्ति के लिए भुगतान का साक्ष्य (मूल रूप से) कम्प्यूटर (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर) प्रबंधन शाखा को भेज सकते हैं।

  सदस्य उत्पाद की विश्वसनीयता, वारंटी कवर और बिक्री पश्चात् सेवा सहायता के बारे में संतुष्ट होने पर अपनी पसंद के विक्रेता से भी कम्प्यूटर उपकरण खरीद सकते हैं। कम्प्यूटर (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर) प्रबंधन शाखा द्वारा सत्यापन के पश्चात् सदस्य वेतन और भत्ता शाखा सदस्यों को प्रतिपूर्ति करेगी।

  विकल्प के तौर पर कोई भी सदस्य कम्प्यूटर उपस्कर खरीदने के लिए प्रोफॉर्मा बिल ला सकता है। कम्प्यूटर (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर) प्रबंधन शाखा द्वारा सत्यापन के पश्चात् सदस्य वेतन और भत्ता शाखा अधिकृत डीलर/ आपूर्तिकर्ता को सीधे भुगतान करेगी।

- सदस्य न रहने की स्थिति में खरीदा गया कम्प्यूटर उपकरण उसकी ह्रास लागत के साथ सदस्य के पास ही रहेगा।

[सदस्य पूछताछ बूथ, कमरा सं. जी-127
संसदीय ज्ञानपीठ
दूरभाष: (011) 23035055, 23794886

अथवा

कम्प्यूटर (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर) प्रबंधन शाखा
कमरा सं. एफबी-149, संसदीय ज्ञानपीठ
दूरभाष: (011) 23035290, 23035055
ई-मेल: mqb-lss@sansad.nic.in]

अध्याय दो

सुख-सुविधाएं और अन्य सुविधाएं

1. वैयक्तिक आरएफ टैग/कार पार्किंग लेबल/वाहन आरएफ टैग/वैयक्तिक सहायक/निजी सचिव पास/दर्शक दीर्घा पास

(क) *सदस्यों को वैयक्तिक आरएफ टैग जारी करना:* संसद भवन परिसर में लोक सभा सदस्यों के अबाधित प्रवेश को सुकर बनाने के लिए उन्हें संसद भवन के स्वागत कार्यालय के निकट स्थित केंद्रीयकृत पास निर्गम प्रकोष्ठ (सीपीआईसी) द्वारा वैयक्तिक आरएफ टैग जारी किए जाते हैं। सदस्य शाखा में उपलब्ध अपेक्षित प्रपत्र को भर कर इसे प्राप्त कर सकते हैं।

(ख) *सदस्य की पत्नी/के पति को वैयक्तिक आरएफ टैग जारी करना:* संसद भवन परिसर में सदस्यों की पत्नियों/के पतियों के अबाधित प्रवेश को सुकर बनाने के लिए उन्हें भी आरएफ टैग जारी किए जाते हैं।

(ग) *संसद सदस्य कार पार्किंग लेबल (वार्षिक):* संसद सदस्यों को संसद भवन परिसर में अपने वैयक्तिक वाहनों के लाने को सुकर बनाने के लिए सीपीआईसी द्वारा वार्षिक संसद सदस्य (एमपी) कार पार्किंग लेबल जारी किए जाते हैं।

(घ) *सदस्यों को वाहन आरएफ टैग जारी करना:* संसद भवन परिसर में सदस्यों के व्यक्तिगत वाहनों के अबाधित प्रवेश को सुकर बनाने के लिए सीपीआईसी द्वारा सदस्यों के वाहनों के लिए भी आरएफ टैग जारी किए जाते हैं।

(ङ) *वैयक्तिक सहायक/निजी सचिव पास जारी करना:* संसद भवन परिसर में सदस्यों के वैयक्तिक सहायक/निजी सचिव के प्रवेश हेतु संबंधित सदस्य द्वारा केंद्रीकृत पास निर्गम प्रकोष्ठ में उपलब्ध निर्धारित फार्म में पी.ए./पी.एस. का पूर्ण विवरण भरकर आवेदन करने पर सत्र/अंतर–सत्रावधि के लिए मान्य पास जारी किए जाते हैं।

(च) *दर्शक दीर्घा पास*

(एक) *उसी दिन के लिए दर्शक पास:* केवल सदस्यों की पत्नी/के पति, बच्चों और निकट संबंधियों को सत्रावधि के दौरान उसी दिन के लिए दर्शक पास जारी किए जाते हैं और एक सदस्य को उसी दिन के लिए अधिकतम दो दर्शक पास जारी किए जाते हैं।

(दो) *अगले दिन हेतु दर्शक प्रवेश पत्र:* अगले दिन हेतु भी दर्शक प्रवेश पत्र जारी किए जाते हैं और ऐसे दर्शक प्रवेश पत्र हेतु आवेदन जिस दिन के लिए दर्शक प्रवेश पत्र चाहिए उसके एक दिन पूर्व के कार्य दिवस के अपराह्न 4.00 बजे तक केंद्रीकृत पास निर्गम प्रकोष्ठ में जमा कर दिए जाने चाहिए।

(तीन) *केन्द्रीय कक्ष हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जाना:* केंद्रीय कक्ष हेतु प्रवेश पत्र सदस्यों की सिफारिश पर केवल वर्तमान विधान सभाओं/विधान परिषदों के सदस्यों, मुख्यमंत्रियों/राज्य के मंत्रियों; पूर्व मुख्यमंत्रियों; राज्य विधानमंडलों के पूर्व पीठासीन अधिकारियों; राज्य के पूर्व मंत्रियों; वर्तमान संसद सदस्यों की पत्नी/के पति; लोक सभा सदस्यों के रक्त संबंधियों (केवल पुत्र/पुत्री/पिता और माता) को जारी किए जाते हैं।

(चार) *विशेष दीर्घा हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जाना:* संबंधित सदस्य की सिफारिश पर सदस्य के पुत्र/पुत्री/पिता/माता को विशेष दीर्घा हेतु प्रवेश पत्र जारी किए जाते हैं। 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दीर्घा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है।

(पांच) *विशिष्ट दर्शक दीर्घा/(डीवीजी) हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जाना:* संबंधित सदस्य की सिफारिश पर लोक सभा के वर्तमान सदस्यों की पत्नी/के पति को दैनंदिन आधार पर विशिष्ट दर्शक दीर्घा हेतु प्रवेश पत्र जारी किए जाते हैं।

सदस्यों की सिफारिश पर विशिष्ट दर्शक दीर्घा हेतु प्रवेश पत्र निम्नलिखित व्यक्तियों के लिए भी जारी किए जाते हैं:

- राज्य विधानमंडलों के सदस्य और सचिव,
- न्यायाधीश, उप-कुलपति और भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के उच्चाधिकारी,
- सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसे अखिल भारतीय राजनीतिक दलों के अध्यक्ष,
- विदेशों के गण्यमान्य आगंतुक

[केंद्रीयकृत पास निर्गम प्रकोष्ठ
(निकट स्वागत कार्यालय, संसद भवन)
दूरभाष: (011) 23034672, 23035073]

2. परिवहन सुविधाएं

(एक) परिवहन डेस्क के माध्यम से फेरी वाहन

एक परिवहन डेस्क है जहां से सदस्यों को संसद परिसर से नई दिल्ली में अपने आवासों पर जाने और वहां से संसद परिसर आने के लिए वाहन प्रदान किए जाते हैं। सभी संसद सदस्यों को उनके आवासों और संसद भवन परिसर के बीच परिवहन सुविधा प्रत्येक फेरे के लिए 5 रु. की टोकन राशि का भुगतान करने पर प्रदान की जाती है।

[परिवहन डेस्क, संसद भवन
दूरभाषः (011) 23034859, 23034867, 23035139, 23035183, 23093469]

(दो) संसदीय सौध के बाहर टैक्सियां और स्कूटर

सत्रावधि के दौरान दिल्ली पुलिस की सहायता से संसद भवन परिसर के बाहर टैक्सी स्टैंड पर टैक्सी और स्कूटर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाती है।

[सदस्य सेवा शाखा, कमरा सं. 402
चौथा तल, संसदीय सौध
दूरभाषः (011) 23034402, 23034452
ई-मेलः msbranch-lss@sansad.nic.in]

(तीन) रेल बुकिंग

सदस्यों की सुविधा के लिए संसद भवन में और संसद भवन के बाहरी स्वागत कार्यालय के निकट रेलवे बुकिंग और आरक्षण कार्यालय पूरे वर्ष कार्यरत रहते हैं:

- संसद सदस्यों और उनकी पत्नियों/उनके पतियों के लिए रेलगाड़ियों में स्थानों का आरक्षण, संसद भवन स्थित आरक्षण कार्यालय से किया जाता है।

- संसद सदस्यों के अतिथियों/परिचारकों/मित्रों आदि के लिए स्थान का आरक्षण संसद भवन के बाहरी स्वागत कार्यालय के निकट स्थित आरक्षण कार्यालय से किया जाता है।

[रेलवे बुकिंग कमरा संख्या 131
तृतीय तल, संसद भवन
दूरभाष: (011) 23017369, 23034471
आरक्षण कार्यालय, निकट स्वागत कक्ष
संसद भवन
दूरभाष: (011) 23034364, 23034365]

(चार) विमान टिकट बुकिंग

एयर इंडिया का विमान टिकट बुकिंग कार्यालय संसद भवन में पूरे वर्ष कार्यरत रहता है। संसद सदस्यों के लिए नई दिल्ली में सफदरजंग हवाई अड्डे पर स्थित एयर इंडिया बुकिंग कार्यालय में भी विमान यात्रा टिकट बुक करने की सुविधा उपलब्ध है। सदस्यगण कतिपय परिस्थितियों में टेलीफोन पर भी बुकिंग कर सकते हैं।

[विमान टिकट बुकिंग, कमरा संख्या 131-ए
तृतीय तल, संसद भवन
दूरभाष: (011) 23017670, 23034735]

3. बैंकिंग सुविधाएं

भारतीय स्टेट बैंक की संसद भवन और संसदीय सौध स्थित शाखाएं: संसद भवन और संसदीय सौध में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं कार्यरत हैं। सामान्य बैंकिंग सुविधाओं के अलावा वे आयकर और अन्य प्रत्यक्ष करों, निवेश योजनाओं, आदि संबंधी भुगतान स्वीकार करती हैं। सदस्यों की सुविधा के लिए संसदीय

सौध शाखा में सुरक्षित जमा लॉकर भी उपलब्ध कराए गए हैं। सदस्यों की सुविधा के लिए संसद भवन/संसदीय सौध और संसदीय ज्ञानपीठ में एटीएम सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

[भारतीय स्टेट बैंक, शाखा प्रबंधक
संसद भवन, प्रथम तल
दूरभाषः (011) 23011364, 23034653;
भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य प्रबंधक
भूमि तल, संसदीय सौध
दूरभाषः (011) 23034241, 23034477,
23012647;
एटीएम सुविधाः
एटीएम, भूतल निकट संसद सदस्य प्रवेश द्वार,
संसदीय ज्ञानपीठ
एटीएम, भूतल, निकट डाकघर, संसदीय सौध
संसदीय सौध]

4. राजनयिक पासपोर्ट

सदस्य और उनकी पत्नी/उनके पति अध्ययन दौरे/सम्मेलन/निजी यात्रा पर विदेश जाने के लिए राजनयिक पासपोर्ट प्राप्त करने के पात्र होते हैं।

[सदस्य सेवा शाखा, कमरा सं. 402
चौथा तल, संसदीय सौध
दूरभाषः (011) 23034402, 23034452
ई-मेलः msbranch-lss@sansad.nic.in]

5. नई दिल्ली नगर पालिका परिषद संपर्क कार्यालय

सदस्यों के आवासों में लगे मीटरों तथा सदस्यों के बिजली और पानी के बिलों सहित नई दिल्ली नगर पालिका परिषद से

संबंधित अन्य सभी मामलों के बारे में सदस्यों की शिकायतों का निवारण करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद का एक संपर्क कार्यालय संसदीय सौध में पूरे वर्ष कार्यरत रहता है।

[नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, संपर्क अधिकारी
कमरा संख्या 314, संसदीय सौध
दूरभाषः (011) 23034314, 23034316]

6. तेल कंपनियों का एलपीजी सेवा फलक

सदस्यों की सुविधा के लिए एलपीजी की आपूर्ति तथा अन्य संबंधित मामलों के संबंध में संसदीय सौध में सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों का सेवा फलक सत्रावधि के दौरान कार्यरत रहता है।

[संसद सदस्य सेवा शाखा, कमरा सं. 402
चौथा तल, संसदीय सौध
दूरभाषः (011) 23034402, 23034452
ई-मेलः msbranch-lss@sansad.nic.in]

7. सदस्यों के आवासीय स्थानों पर सुरक्षा प्रबंध

संसद सदस्यों को उनके आवासों की सुरक्षा बनाए रखने में सहायता प्रदान करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा नई दिल्ली के संसद मार्ग स्थित थाने में सहायक पुलिस आयुक्त के कार्यालय में एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। इस प्रकोष्ठ का कार्य समय प्रतिदिन 9.00 बजे से 19.00 बजे तक है। सदस्य जब भी दिल्ली से बाहर जाएं तो इस प्रकोष्ठ को सूचित कर सकते हैं ताकि दिल्ली से उनकी अनुपस्थिति के दौरान पुलिस प्राधिकारी उनके आवासों की सुरक्षा हेतु आवश्यक व्यवस्था कर

सकें। सदस्य स्थानीय पुलिस से अपेक्षित किसी अन्य सहायता के लिए भी इस प्रकोष्ठ से संपर्क कर सकते हैं।

[क्षेत्रीय पुलिस उपायुक्त, नोडल पुलिस अधिकारी
नई दिल्ली
दूरभाषः (011) 23344452]

[संसद सदस्य सेवा शाखा, कमरा सं. 402
चौथा तल, संसदीय सौध
दूरभाषः (011) 23034402, 23034452
ई-मेलः msbranch-lss@sansad.nic.in]

8. सेना वाहनों की बिक्री

सदस्य रक्षा मंत्रालय द्वारा बेचे जाने वाले सेना वाहनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। सदस्यों के अनुरोधों को सेना वाहन बिक्री स्टाक से वाहन जारी करने के लिए रक्षा मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया जाता है।

[संसद सदस्य सेवा शाखा, कमरा सं. 402
चौथा तल, संसदीय सौध
दूरभाषः (011) 23034402, 23034452
ई-मेलः msbranch-lss@sansad.nic.in]

9. खान-पान सेवाएं

(एक) *संसद भवन/संसदीय सौध*

- संसद भवन के प्रथम तल पर दो जलपान कक्ष एवं केंद्रीय कक्ष के नजदीक एक स्नैक बार है। सदस्यों और उनके अतिथियों के लिए संसद भवन, स्वागत कार्यालय पर जलपान सुविधाएं उपलब्ध हैं। सदस्यों के लिए ऐसी ही सुविधाएं संसदीय सौध तथा संसद ग्रंथालय भवन में उपलब्ध हैं।

- सदस्यों की सुविधा हेतु संसद भवन में दो जलपान कक्षों के अलावा चाय बोर्ड और कॉफी बोर्ड भी अपने-अपने स्टॉल चलाते हैं।

- संसद भवन और संसदीय सौध में भी स्टॉल हैं, जहां दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध उत्पाद उपलब्ध होते हैं।

[सदस्य जलपान, कमरा सं. 70,
संसद भवन
दूरभाष: (011) 23034998
सदस्य जलपान, कमरा सं. 73,
संसद भवन
दूरभाष: (011) 23034788, 23034614
स्वागत कार्यालय कैंटीन,
संसद भवन
दूरभाष: (011) 23034724
स्नैक्स बार/केंद्रीय कक्ष,
संसद भवन
दूरभाष: (011) 23034647
कॉफी बोर्ड, केन्द्रीय कक्ष,
संसद भवन
दूरभाष: (011) 23034649
टी बोर्ड, केन्द्रीय कक्ष,
संसद भवन
दूरभाष: (011) 23035320, 23034651]

(दो) *नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू और वेस्टर्न कोर्ट हॉस्टल*

संसद सदस्यों और उनके अतिथियों की सुविधा हेतु उत्तर रेलवे खान-पान सेवा द्वारा नॉर्थ एवेन्यू में संसद सदस्य कैंटीन चलाई जा रही है। साउथ एवेन्यू में एक निजी

खान-पान प्रबंधक द्वारा खान-पान सेवा प्रदान की जा रही है। वेस्टर्न कोर्ट हॉस्टल में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा कैंटीन चलायी जाती है।

[रेलवे खान-पान, नॉर्थ एवेन्यू
दूरभाषः (011) 23092128
खान-पान सेवा, साउथ एवेन्यू
दूरभाषः (011) 23014572

भारत पर्यटन विकास निगम खान-पान,
वेस्टर्न कोर्ट हॉस्टल
दूरभाषः (011) 23340070, 23347083]

10. केन्द्रीय भंडार

23, महादेव रोड स्थित केंद्रीय भंडार की एक शाखा आवश्यक वस्तुओं (यथा किराना, प्रसाधन और घरेलू उपयोग की वस्तुएं, वस्त्र, घड़ियां आदि) की बिक्री के लिए 9.30 बजे से 18.30 बजे तक खुली रहती है।

[केंद्रीय भंडार
दूरभाषः (011) 23358149]

[संसद सदस्य सेवा शाखा, कमरा सं. 402
चौथा तल, संसदीय सौध
दूरभाषः (011) 23034402, 23034452
ई-मेलः msbranch-lss@sansad.nic.in]

11. स्टील के लॉकर्स

सदस्यों के लिए अपने संसदीय पत्र रखने हेतु लोक सभा की बाहरी लॉबी में स्टील के लॉकर उपलब्ध हैं। लॉकरों का आवंटन ''पहले आओ, पहले पाओ'' आधार पर किया जाता है। संसदीय

सूचना कार्यालय में अनुरोध करने से सदस्य को एक लॉकर आबंटित किया जा सकता है और लॉकर की चाबी सदस्य को दे दी जाएगी।

[संसदीय सूचना कार्यालय
कमरा संख्या 23, संसद भवन
दूरभाषः (011) 23034610, 23034621, 23017700
ई–मेलः pno-lss@sansad.nic.in]

12. प्रकाशन फलक

लोक सभा सचिवालय के कुछ संसदीय पत्र एवं प्रकाशन तथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से वितरण हेतु प्राप्त प्रकाशनों को प्रकाशन फलक पर रखा जाता है। सदस्य अनुरोध कर अपनी प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं। यह फलक द्वार संख्या 2 के निकट लोक सभा की लॉबी के प्रवेश हॉल में स्थित है।

[प्रकाशन फलक, भूतल, संसद भवन
दूरभाषः (011) 23034645]

13. लेखन सामग्री और शुभकामना कार्ड

सचिवालय द्वारा मानक लेटर हेड लेखन सामग्री एवं दीवाली, ईद तथा नए वर्ष के शुभकामना कार्ड मुद्रित किए जाते हैं तथा सदस्यों के लिए इनकी बिक्री न लाभ न हानि के आधार पर बिक्री शाखा/प्रकाशन फलक के माध्यम से की जाती है।

[बिक्री फलक, स्वागत कार्यालय संसद भवन
दूरभाषः (011) 23034726

प्रकाशन फलक, भूतल, संसद भवन
दूरभाषः (011) 23034645]

14. भारत का राजपत्र

भारत के राजपत्र की पूर्ण प्रतियां और भारत सरकार के अन्य समूल्य प्रकाशन भारत सरकार के प्रकाशन प्रबंधक, सिविल लाइंस, दिल्ली के पास उपलब्ध हैं। सदस्यों के संदर्भ के लिए भारत के राजपत्र की प्रतियां लोक सभा सचिवालय की संसद ग्रंथालय और संदर्भ शोध, प्रलेखन तथा सूचना सेवा (लार्डिस) के राजपत्र और वाद-विवाद एकक में भी उपलब्ध हैं।

[राजपत्र और वाद-विवाद अनुभाग
एफ.बी. 025, एफ-ब्लॉक
संसद ग्रंथालय भवन
दूरभाषः (011) 23034797]

15. क्लब सुविधाएं

- विट्ठलभाई पटेल हाउस परिसर के अंदर स्थित कान्स्टीट्यूशन क्लब, जो ससद भवन से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर है, में प्रथम लोक सभा अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर के नाम पर एक सभागार और आधुनिक तरणताल है।
- क्लब और सभागार राजनीतिक क्रियाकलापों के लिए सभी संसदीय दलों के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसके अतिरिक्त इनडोर और आउटडोर खेलों की सुविधाएं जैसे बैडमिंटन आदि क्लब परिसर में ही उपलब्ध हैं। उपयुक्त अवसरों पर वार्ता, विचार-विमर्श और अन्य सांस्कृतिक क्रियाकलाप क्लब प्रबंधन के तत्वावधान में आयोजित किए जाते हैं।
- मुख्य क्लब के अतिरिक्त, इनडोर खेलों की सुविधाओं से सुसज्जित दो सामुदायिक केंद्र, नॉथ एवेन्यू और

साउथ एवेन्यू, दोनों में उपलब्ध हैं, जहां अधिकांश सदस्य रहते हैं।

[प्रबंधक, कान्स्टीट्यूशन क्लब
विट्ठलभाई पटेल हाउस, रफी मार्ग
दूरभाषः (011) 23711849]

16. डाकघर

दो उप-डाकघर जिनमें से एक संसद भवन में लिफ्ट सं. 5 के निकट भूमितल और दूसरा संसदीय सौध में निम्न तल पर स्थित है, सभी कार्यदिवसों पर 10.00 बजे से 18.00 बजे तक कार्य करते हैं।

[डाकघर भूमि तल, संसद भवन
(लिफ्ट सं. 5 के निकट)
दूरभाषः (011) 23017346

डाकघर, निम्नतल, संसदीय सौध
दूरभाषः (011) 23014121]

अध्याय तीन

सामान्य सहायता

1. सदस्यों को वेतन, यात्रा और दैनिक भत्ते का भुगतान

सदस्यों को वेतन, यात्रा और दैनिक भत्ते का भुगतान या तो भारतीय स्टेट बैंक, संसदीय सौध पर देय चेक के द्वारा अथवा भारतीय स्टेट बैंक, संसद भवन शाखा पर उनके खातों में सीधे प्रेषण के माध्यम से किया जाता है। चेक या तो सदस्य के नाम अथवा उसके बैंकर के नाम, जैसा वह चाहे, पर जारी किए जाते हैं।

जब संसद का सत्र चला रहा तो तब सदस्यों को चेक की त्वरित आपूर्ति सुनिश्चित करने और इस संबंध में उनकी पूछताछ का संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करने के लिए लोक सभा की बैठक आरंभ होने से लेकर बैंक अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक संसद भवन शाखा के कार्य समय तक संसदीय सूचना कार्यालय स्थित चेक काउंटर पर प्रतिदिन एक चेक लिखने वाले की तैनाती की जाती है।

[वेतन और लेखा कार्यालय (चेक और फंड)
कमरा सं. 301, तीसरा तल
संसदीय सौध
दूरभाष: (011) 23034301, 23035107
ई-मेल: pao-lss@sansad.nic.in]

2. सदस्यों को आशुलिपिक सहायता

सदस्यों को अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं की सीमित आशुलिपिक और टाइपिंग सहायता प्रदान की जाती है। सदस्यगण आशुलिपिक पूल में एक समय में अधिकाधिक तीन या चार पृष्ठों का ही संसदीय कार्य आशुलिपि करने तथा/अथवा टाइपिंग करने के लिए दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आशुलिपिक पूल में कर्मचारियों को इस आशय के अनुदेश दिए गए हैं कि वे गैर-संसदीय स्वरूप का कार्य न करें।

[संसद सदस्यों के लिए आशुलिपिक और टाइपिस्ट पूल
कमरा संख्या 20बी, भूतल और
कमरा संख्या 129-ए
तृतीय तल, संसद भवन
दूरभाषः (011) 23034641, 23035473]

3. संसदीय सूचना कार्यालय

संसदीय सूचना कार्यालय में सभी पत्राचार और सूचनाएं सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित प्रश्नों की सूचनाएं, 'शून्य काल' सूचना, संशोधन सूचना, संकल्प और अन्य प्रस्ताव सूचना आदि प्राप्त होती हैं, यह सभी प्रकार के प्रपत्र, सदस्यों के पहचान पत्र, पत्नी/पति का पहचान पत्र-सह-रेलवे पास, रेल यात्रा प्रपत्र, स्टीमर यात्रा प्रपत्र, 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर लॉकर्स उपलब्ध कराता है और सदस्यों की विभिन्न शंकाओं का समाधान करता है और संसदीय कार्य के संबंध में उन्हें सामान्य सहायता उपलब्ध कराता है।

[संसदीय सूचना कार्यालय
कमरा संख्या 23, संसद भवन
दूरभाषः (011) 23034610, 23034621, 23017702
ई-मेलः pno-lss@sansad.nic.in]

4. वितरण शाखा

- सदस्यों की सूची, जिसमें सदस्यों का स्थानीय/स्थायी पता और दूरभाष संख्या होती है, का मुद्रण और प्रकाशनः नए निर्वाचित सदस्य अपने दूरभाष संख्या के साथ-साथ अपना स्थानीय/स्थायी पता जो 'सदस्यों की सूची' में मुद्रित किया जाता है, सूचित करें। पता, दूरभाष संख्या में बाद में कोई परिवर्तन होता है, तो वितरण शाखा को सूचित किया जाए।
- **विधेयकः** सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों की मुद्रित प्रतियां सदस्य के स्थानीय पते पर वितरित की जाती हैं। सदस्य व्यक्तिगत रूप से भी इसकी प्रति वितरण शाखा से प्राप्त कर सकते हैं।
- **संसदीय पत्रः** सदस्यों को कार्य-सूची, प्रश्न सूची, समाचार (भाग-एक एवं दो), कटौती प्रस्ताव, वाद-विवाद सारांश, अनुपूरक वाद-विवाद सारांश, जीवनवृत्त, वेतन पर्ची, संशोधन हेतु भाषण (भाग-एक और भाग-दो), तारांकित और अतारांकित उत्तर, प्रकाशन, समितियों के कार्य-सूची पत्र, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन की सूचनाओं की मुद्रित प्रतियां (जब भी उपलब्ध हों) और समिति की बैठक की सूचना वितरण शाखा द्वारा प्रदान की जाती हैं।
- सदस्यों और मंत्रिपरिषद की सूची प्रकाशन फलक द्वारा जारी की जाती है।
- सदस्य, संसदीय पत्र प्राप्त न होने/देर से प्राप्त होने की शिकायत वितरण शाखा से कर सकते हैं।

[वितरण शाखा
कर्मचारी प्रवेश द्वार, संसदीय सौध
दूरभाषः (011) 23034497, 23034992]

5. विधायी शाखा

- विधायी शाखा सदस्यों द्वारा दी गई, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूचनाओं पर कार्रवाई करती है। इसके अतिरिक्त, यह शाखा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों, संबंधी समिति को भी सचिवालयीय सहायता प्रदान करती है।

[विधायी शाखा-दो, कमरा सं. 82, संसद भवन
दूरभाषः (011) 23034713, 23035115
ई-मेलः compbill@sansad.nic.in]

6. शोध और सूचना सेवा

- शोध और सूचना प्रभाग सदस्यों के उपयोग के लिए सूचना संबंधी समाचार, विधायी समाचार, ब्रोशर, पृष्ठाधार टिप्पण, संक्षिप्त टिप्पण, तथ्य संबंधी पत्र आदि तैयार करता है।

- प्रभाग संसदीय पद्धति और प्रक्रिया (कौल और शकधर) तथा जर्नल ऑफ पार्लियामेंट्री इन्फॉर्मेशन (त्रैमासिक); डाइजेस्ट ऑफ सेंट्रल एक्ट्स (त्रैमासिक); डाइजेस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेज (त्रैमासिक) और आईपीजी न्यूजलेटर (त्रैमासिक) नामक नियमित पत्रिकाओं सहित समय-समय पर कई महत्वपूर्ण प्रकाशन निकालता है।

7. सदस्य परिचय प्रकोष्ठ – 16वीं लोक सभा

- संसदीय ग्रंथालय और संदर्भ, शोध, प्रलेखन तथा सूचना सेवा का शोध और सूचना प्रभाग का सदस्य परिचय प्रकोष्ठ 16वीं लोक सभा के सदस्यों के जीवनवृत्त संबंधी दो

प्रकाशन–**16वीं लोक सभा के सदस्यः एक संक्षिप्त परिचय और सदस्य परिचयः 16वीं लोक सभा** निकाल रहा है।

- सदस्यों द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में भरकर दी गई जानकारी के आधार पर प्रकाशनों का समेकन किया जाएगा।
- यह प्रकोष्ठ [कम्प्यूटर (सॉफ्टवेयर) यूनिट/एनआईसी के सहयोग से] www.parliamentofindia.nic.in/www.loksabha.nic.in वेबसाइट पर सदस्यों के होमपेज का रखरखाव करता है और उसे अद्यतन भी करता है।

[संसद सदस्य परिचय प्रकोष्ठ,
कमरा संख्या-एफ-121 तथा एफ-078,
संसदीय ज्ञानपीठ
दूरभाषः (011) 23035051, 23035516, 23034536
ई-मेलः wwc-lss@sansad.nic.in]

8. संसद ग्रंथालय

- संसद ग्रंथालय, संसद सदस्यों की सूचना संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है।
- **कार्य समयः** ग्रंथालय सभी कार्य दिवसों को सुबह 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक खुला रहता है। तथापि, सत्रावधि के दौरान ग्रंथालय सुबह 09.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक या दोनों सदनों की बैठक समाप्त होने, जो भी बाद में हो, तक कार्य करता है। सत्रावधि के दौरान, ग्रंथालय शनिवार/रविवार/अवकाश (राष्ट्रीय अवकाश और होली के दिन को छोड़कर) के दिन भी सुबह 10.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक खुला रहता है।

- **संकलनः** संसद ग्रंथालय देश में एक बेहतरीन और समृद्ध ग्रंथालय है। संसद ग्रंथालय में राजनीति, विधि, इतिहास, कला और चित्रकला आदि से संबंधित हजारों दुर्लभ पुस्तकों का समृद्ध संकलन है।

- **अध्ययन कक्ष की सुविधाः** संसद सदस्यों के लिए संसद भवन और संसद ग्रंथालय भवन में भी अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले सभी अद्यतन समाचारपत्रों और आवधिक पत्र-पत्रिकाओं को अध्ययन कक्ष में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, अध्ययन कक्षों में इंटरनेट की सुविधायुक्त कम्प्यूटर भी लगाए गए हैं।

- **पुस्तकें प्रदान करने की सुविधाः** संसद सदस्यों को संसद ग्रंथालय द्वारा परिचालन फलक (सर्कुलेशन काउंटर) से पुस्तकों का जारी किया जाना ग्रंथालय नियमों के उपबंधों के अध्यधीन किया जाता है। इस ग्रंथालय में विभिन्न ग्रंथालय के साथ अंतर-ग्रंथालय पुस्तक लेन-देन की भी व्यवस्था है। यदि सदस्य द्वारा अपेक्षित कोई पुस्तक संसद ग्रंथालय में उपलब्ध नहीं है, तो इस व्यवस्था के अंतर्गत उसे अन्य ग्रंथालयों से प्राप्त किया जा सकता है।

- **संसद सदस्य सहायता काउंटर, ज्ञानपीठः** सदस्य सहायता काउंटर, संसद सदस्यों को उनके दिन-प्रतिदिन के संसदीय कार्य में उनकी सूचना संबंधी आवश्यकताओं के लिए सहायता प्रदान करता है। सांख्यिकीय प्रकृति के आंकड़े तथा प्रकाशित दस्तावेजों के रूप में उपलब्ध सुलभ जानकारी तुरंत मुहैया करा दी जाती है, जबकि समय लगने वाले प्रश्नों और ऐसे प्रश्नों, जिन पर विस्तृत शोध की आवश्यकता

होती है, को तथ्यात्मक और अद्यतन जानकारी एकत्रित करने के लिए सदस्य संदर्भ सेवा को सौंप दिया जाता है।

- **वेबपेजः** संसद ग्रंथालय के लिए अलग से एक वेबपेज (http://164.100.47.134/Plibrary/Home.htm) विकसित किया गया है, जो ग्रंथालय की विभिन्न इकाइयों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है।

9. सदस्य संदर्भ सेवा

- सदस्य संदर्भ सेवा निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करती है:—

  (एक) प्रकाशित दस्तावेजों से सदस्यों को तत्स्थानिक संदर्भ उपलब्ध कराना;

  (दो) सदस्यों की संभावित संदर्भ आवश्यकताओं के अनुसार सामयिक विषयों पर संदर्भ टिप्पण, पृष्ठाधार टिप्पण, फैक्ट शीट्स और सूचना फोल्डर्स आदि तैयार करना और साथ ही संसद के समक्ष लंबित अथवा आने वाले महत्वपूर्ण विधेयकों के संबंध में संदर्भ सूची टिप्पण तैयार करना।

- किसी विषय पर विस्तृत जानकारी पाने के इच्छुक सदस्य अपना अनुरोध सदस्य सहायता डेस्क पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में लिखित रूप से संदर्भ स्कन्ध को भेज सकते हैं। एक सहायता डेस्क संसद भवन और दूसरा संसदीय ज्ञानपीठ में स्थित है। अपने लिखित पत्र में यह स्पष्ट रूप से बताएं कि किन बिंदुओं पर जानकारी चाहिए और यह जानकारी किस तारीख तक और किस समय तक चाहिए। वे अपनी आवश्यकता दूरभाष या फैक्स के जरिए भी भेज सकते हैं।

- सदस्य की सूचना संबंधी आवश्यकताएं, यदि इस संबंध में कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होता है या सदस्य से अनुरोध हिंदी में प्राप्त होता है, तो हिंदी में पूरा करने की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

- **ऑनलाइन संदर्भ सेवा:** सदस्य अपने प्रश्न ऑनलाइन भी भेज सकते हैं और वांछित जानकारी ई-रिसोर्स के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। सदस्यों के अवलोकन के लिए बड़ी संख्या में प्रासंगिक पत्र इस वेबसाइट पर और इंट्रानेट पर डिजिटल फॉरमेट में ऑनलाइन उपलब्ध है। सामयिक मुद्दों पर संदर्भ टिप्पण सदस्यों को ई-मेल के जरिए भेजे जाते हैं।

[संदर्भ प्रभाग, जी-053
'आई' ब्लॉक, संसदीय ज्ञानपीठ
दूरभाष: (011) 23034562
फैक्स: (011) 23017517
ई-मेल: refdiv-lss@sansad.nic.in]

10. प्रलेखन

- प्रलेखन सेवा पाक्षिक प्रकाशनों 'पार्लियामेंट्री डाक्यूमेंटेशन' और 'संसदीय प्रलेखन' द्वारा संसद ग्रंथालय में प्राप्त होने वाली विभिन्न अंग्रेजी और हिन्दी पत्रिकाओं, आवधिक पत्रिकाओं और साथ ही हिन्दी समाचारपत्रों में प्रकाशित सार्वजनिक महत्व और राष्ट्रीय हित से संबंधित सामयिक विषयों पर लेखों की ग्रंथ सूची उपलब्ध कराती है।

- इन प्रकाशनों का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण सदस्यों को ई-मेल के द्वारा भेजा जाता है।

- सदस्य ऑनलाइन जाकर अंग्रेजी पत्रिकाओं और आवधिक पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों के संपूर्ण पाठ प्राप्त कर सकते

हैं जो कि संसदीय प्रलेखन की अनुक्रमणिका में दिए गए हैं।

[प्रलेखन अनुभाग, कमरा संख्या जी-059
संसदीय ज्ञानपीठ
दूरभाष: (011) 23034843
ई-मेल: documentation-lss@sansad.nic.in]

11. प्रेस कतरन

- प्रेस कतरन फोल्डर्स संसद ग्रंथालय के अध्ययन कक्ष में उपलब्ध कराए जाते हैं।
- चुनिंदा हिन्दी/अंग्रेजी समाचारपत्रों की प्रेस कतरनों की ऑनलाइन पुन: प्राप्ति प्रेस कतरन सर्विस (लार्डिस) (ग्रंथालय और संदर्भ, शोध, प्रलेखन तथा सूचना सेवा) शीर्षक के अंतर्गत **लोक सभा इंट्रानेट** पर उपलब्ध है इन समाचारों की प्रेस कतरनें संसद भवन परिसर में कार्यरत लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कम्प्यूटर से वर्गीकृत संख्या विषय की-वर्ड (सूचक शब्दों), समाचार पत्र और तिथिवार पुन: प्राप्ति की जा सकती हैं।

[प्रेस कतरन अनुभाग
कमरा संख्या एफबी-075 और
एफबी-079, संसदीय ज्ञानपीठ
दूरभाष: (011) 23034774, 23034849, 23035050
ई-मेल: pcsection-lss@sansad.nic.in]

12. रेप्रोग्राफी सेवा

ग्रंथालय सदस्यों और पूर्व सदस्यों को रेप्रोग्राफी सेवा भी प्रदान करता है। यदि सदस्य किसी प्रलेख से कोई सुसंगत/अपेक्षित सूचना की छायाप्रति प्राप्त करना चाहते हैं तो सदस्य छायाप्रति 1.00 रुपया प्रति पृष्ठ की दर से भुगतान करके संसद भवन के

निकट स्थित संसदीय ज्ञानपीठ में रेप्रोग्राफी इकाई और सदस्य संदर्भ डेस्क से प्राप्त कर सकते हैं।

[रेप्रोग्राफी इकाई, एफबी-054, 'आई' ब्लॉक
संसदीय ज्ञानपीठ
दूरभाषः (011) 23034044

भुगतान आधार परः जी-037, 'ए' ब्लॉक
संसदीय ज्ञानपीठ
दूरभाषः (011) 23034764

पुराना ग्रंथालय हाल, संसद भवन
दूरभाषः (011) 23034875]

13. श्रव्य-दृश्य सेवा

- श्रव्य-दृश्य इकाई संसदीय कार्यवाही और संसदीय कार्यों का संपूर्ण दृश्य-श्रव्य अभिलेख है। वे सदस्य जो लोक सभा की कार्यवाही में अपने भाषणों/प्रतिभागिताओं, संसदीय कार्यवाहियों की रिकॉर्डिंग जैसे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलनों/संगोष्ठियों/परिचर्चाओं/कार्यशालाओं की कार्यवाही, संसदीय फिल्मों, लोक सभा टेलीविजन कार्यक्रमों आदि की रिकॉर्डिंग चाहते हैं, वे श्रव्य-दृश्य इकाई से भुगतान आधार पर इनकी प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं।
- इसके अलावा, भारतीय एवं विदेशी भाषाओं को सीखने के लिए लिंगुआफोन पाठ्यक्रम (आडियो और वीडियो कैसेट्स) और शास्त्रीय एवं वाद्य संगीत तथा देशभक्ति के गीतों के आडियो कैसेट्स सुनने/देखने के लिए उपलब्ध हैं।

[श्रव्य-दृश्य इकाई, कमरा संख्या जी-140
संसदीय ज्ञानपीठ
दूरभाषः (011) 23034505, 23035347
ई-मेलः avunit-lss@sansad.nic.in]

14. संसदीय संग्रहालय और अभिलेखागार

- संसदीय संग्रहालय एक उच्च तकनीकयुक्त इतिवृत्तात्मक संग्रहालय है जो भारत के लोकतांत्रिक विरासत की निरंतरता को दर्शाता है। इस संग्रहालय में एक रिसोर्स सेंटर है जो कि पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत (टैक्सचुअल) एवं दृश्य सूचना बैंक है।
- संग्रहालय, जो कि प्रत्येक सोमवार को (सत्रावधि के दौरान) और मंगलवार से शनिवार प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक खुला रहता है, यह जी-118 (भूतल), संसदीय ज्ञानपीठ में स्थित है।
- संसदीय संग्रहालय और अभिलेखागार (पीएमए) प्रभाग संसदीय संस्थाओं के उद्गम, विकास और कार्यकरण तथा भारत के संविधान से संबंधित मूल्यवान अभिलेखों, ऐतिहासिक दस्तावेजों और लेखों की अधिप्राप्ति, संग्रहण और परिरक्षण का कार्य करता है।

[संसदीय संग्रहालय एवं अभिलेखागार
कमरा संख्या एफबी-094 और एफबी-096
संसदीय ज्ञानपीठ
दूरभाषः (011) 23034131, 23034226
फैक्सः (011) 23016580
ई-मेलः pma-lss@sansad.nic.in]

15. संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो (बीपीएसटी)

- संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो (बीपीएसटी) संसद सदस्यों और लोकतंत्र के अन्य हितधारकों को संसदीय संस्थाओं के विभिन्न विभागों, उनकी प्रक्रियाओं तथा पद्धतियों के विषय में सुव्यवस्थित रूप से संस्थागत प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करता है।

- *सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम:* ब्यूरो आम चुनावों के बाद नई लोक सभा के गठन के पश्चात् शीघ्र ही नव-निर्वाचित सदस्यों के लिए लगभग एक सप्ताह का प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित करता है।

- ब्यूरो द्वारा संसद सदस्यों में विषय की बेहतर समझ विकसित करने के उद्देश्य से संसदीय रुचियों से संबंधित विभिन्न विषयों पर सांसदों के लिए व्याख्यानमाला, गोलमेज चर्चा, सम्मेलन और विशेष कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाता है।

- *कम्प्यूटर जागरुकता कार्यक्रम:* ब्यूरो द्वारा कम्प्यूटर सुविधा, जो सदस्यों को सचिवालय द्वारा उपलब्ध करायी जाती है, के इष्टतम उपयोग हेतु समय-समय पर कम्प्यूटर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। ब्यूरो की कम्प्यूटर शाला में अत्याधुनिक सुविधाएं है, जहां सदस्यों और उनके निजी स्टाफ को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है।

- *हिन्दी कक्षाएं:* ब्यूरो समय-समय पर गैर-हिन्दी भाषी संसद सदस्यों की सुविधा के लिए हिन्दी कक्षाओं का आयोजन करता है ताकि ऐसे सदस्य राष्ट्रीय भाषा का मौलिक कार्य साधक ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हों।

[संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो (बीपीएसटी)
कमरा संख्या एफबी-19, 20, 21, संसदीय ज्ञानपीठ
दूरभाषः (011) 23035593, 23034895, 23034911, 23034563, 23035017
ई-मेलः bpst@sansad.nic.in
वेबसाइटः www.bpst.nic.in]

16. प्रेस और जनसंपर्क

- प्रेस और जनसंपर्क स्कंध विभिन्न संसदीय घटनाक्रमों, कार्यकलापों और कृत्यों की व्यापक मीडिया कवरेज को सुकर बनाता है और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा ऑनलाइन मीडिया और विभिन्न प्रचार संगठनों के साथ संपर्क बनाए रखता है।
- यह स्कंध लोक सभा के 'सदस्य परिचय', फोटो चार्ट में शामिल करने और विभिन्न शाखाओं/एजेंसियों के उपयोग हेतु लोक सभा के सदस्यों के फोटो लेने के लिए संसद भवन में एक अस्थायी स्टूडियो की स्थापना करता है।

17. लोक सभा टेलीविजन

- लोक सभा का 24 घंटे का टेलीविजन चैनल लोक सभा की कार्यवाही तथा संसद में अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का सीधा प्रसारण करता है।
- संसदविदों को राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक मुद्दों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उनके विचार प्रकट करने का अवसर देकर विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।
- यह चैनल समकालीन विषयों पर सामान्य रुचि के विभिन्न अंत:क्रिया (इंटरऐक्टिव) वाले कार्यक्रम दिखाता है। चैनल हमारी विरासत, विश्वास, परंपराओं, संगीत और नृत्य से संबंधित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, फिल्मों और वृत्तचित्रों का भी प्रसारण करता है।

[मुख्य कार्यकारी, लोक सभा टेलीविजन,
एफ-004, संसदीय ज्ञानपीठ
दूरभाष: (011) 23035004, 23035005]

18. साथ-साथ भाषांतरण सेवा

- कोई भी सदस्य निम्नलिखित अन्य भारतीय भाषाओं में से किसी भी भाषा में भाषण दे सकता है, बशर्ते कि सदस्य इस आशय की सूचना पटल अधिकारी को कम से कम आधा घंटा पूर्व दे ताकि संबंधित भाषांतरकार भाषांतरण बूथ में अपना स्थान ग्रहण कर सके: (एक) असमी; (दो) बंगाली; (तीन) गुजराती; (चार) कन्नड़; (पांच) मैथिली; (छह) मलयालम; (सात) मणिपुरी; (आठ) मराठी; (नौ) नेपाली; (दस) ओडिया; (ग्यारह) पंजाबी; (बारह) संस्कृत; (तेरह) तमिल; (चौदह) तेलुगू; और (पंद्रह) उर्दू।

[साथ-साथ भाषांतरण सेवा, कमरा संख्या 142 और 148 संसद भवन
दूरभाषः (011) 23034968, 23035080, 23035452]

19. कल्याण शाखा

- कल्याण शाखा लोक सभा के वर्तमान सदस्यों को केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के अंतर्गत सभी सुविधाएं उपलब्ध कराती है।

- इन सुविधाओं में शामिल हैं—सीजीएचएस कार्डों का जारी किया जाना। माननीय संसद सदस्यों को किसी भी सरकारी डॉक्टर द्वारा स्वयं उनके/उनके आश्रितों के लिए सुझायी गयी जांचों/उपचार हेतु किसी भी सीजीएचएस अनुमोदित नैदानिक केन्द्र/अस्पताल से कराने के लिए अनुमति पत्र जारी करना; आपात स्थिति में संसद सदस्यों/उनके आश्रितों द्वारा किसी भी निजी अस्पताल (चाहे सीजीएचएस द्वारा मान्यता प्राप्त हो अथवा नहीं) से कराए गए किसी भी

उपचार के लिए भूतलक्षी प्रभाव से अनुमति प्रदान करना और चिकित्सा संबंधी कोई अन्य सहायता/शंका का निवारण भी कल्याण शाखा द्वारा किया जाता है।

[कल्याण शाखा, निम्न तल, डाकघर के पीछे
संसदीय सौध
दूरभाषः (011) 23034515, 23034611]

20. भारतीय संसदीय ग्रुप की सदस्यता

- भारतीय संसदीय ग्रुप भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच संपर्क के रूप में कार्य करता है।
- भारतीय संसदीय ग्रुप की सदस्यता सभी संसद सदस्यों और पूर्व संसद सदस्यों के लिए खुली है।
- कोई भी संसद सदस्य 500/- रु. के आजीवन शुल्क का भुगतान करके इस ग्रुप का आजीवन सदस्य बन सकता है।
- ग्रुप में सामिल होने के इच्छुक संसद सदस्य लोक सभा और राज्य सभा के संसदीय सूचना कार्यालयों और लोक सभा सचिवालय की सम्मेलन शाखा में भी उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में आजीवन शुल्क सहित आवेदन महासचिव, लोक सभा (जो कि ग्रुप के पदेन महासचिव हैं), संसद भवन, नई दिल्ली को भेज सकते हैं।

[सम्मेलन शाखा, कमरा संख्या 338,
संसदीय सौध
दूरभाषः (011) 23034043, 23034340,
23034338, 23034333
ई-मेलः conf@sansad.nic.in]

अध्याय चार

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (एमपीलैड्स)

- एमपीलैड योजना के सुचारू कार्यान्वयन में सदस्यों के समक्ष उनके जिले/राज्यों में आ रही समस्याओं के समाधान में सहायता करने की दृष्टि से प्रति वर्ष संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना लोक सभा संबंधी एक तदर्थ समिति का गठन किया जाता है जिसमें लोक सभा अध्यक्ष द्वारा 24 सदस्य नामनिर्दिष्ट किए जाते हैं।

- समिति का मुख्य कार्य (क) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (लोक सभा) के कार्यान्वयन में कार्य-निष्पादन और समस्याओं की आवधिक रूप से निगरानी और समीक्षा करना; (ख) योजना के संबंध में लोक सभा के सदस्यों की शिकायतों पर विचार करना; और (ग) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जो अध्यक्ष द्वारा उसे समय-समय पर सौंपे जाएं।

- संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीलैड्स) के अंतर्गत प्रत्येक सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रति वर्ष 5 करोड़ रु. तक की लागत वाले विकास कार्यों को करवाए जाने के लिए जिला प्राधिकारी को सुझाव दे सकता है।

- योजना के कार्यान्वयन से संबंधित समस्त जानकारी जिसमें धनराशि का जारी किया जाना भी शामिल है, योजना की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् www.mplads.nic.in पर उपलब्ध है।

[संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति
कमरा सं. 603, संसदीय सौध
दूरभाषः (011) 23034013, 23034739
ई-मेलः commplad@sansad.nic.in]

अध्याय पांच

पूर्व संसद सदस्यों के लिए सुविधाएं

(एक) पेंशनः प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो किसी भी अवधि तक अंतरिम संसद अथवा संसद के किसी भी सदन का सदस्य रहा हो, 18 मई, 2009 से बीस हजार रु. प्रतिमाह पेंशन पाने का हकदार है। यदि किसी व्यक्ति ने संसद की पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए सेवा की है तो उस सदस्य को उन पांच वर्षों से अधिक प्रत्येक वर्ष के लिए पंद्रह सौ रु. प्रतिमाह की अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी। यदि कोई पूर्व संसद सदस्य किसी ऐसी पेंशन का भी हकदार है जो संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (एमएसए अधिनियम) के दायरे में नहीं आती है, तो वह ऐसी पेंशन के अतिरिक्त पूर्व संसद सदस्य के रूप में भी पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा।

(दो) दिवंगत सदस्य/पूर्व सदस्य की पत्नी/पति/आश्रित को परिवार पेंशनः किसी दिवंगत सदस्य/पूर्व सदस्य की पत्नी/पति/आश्रित, दिवंगत सदस्य/पूर्व सदस्य की मृत्यु के समय उसे मिलने वाली पेंशन के 50 प्रतिशत की दर से परिवार पेंशन पाने का हकदार है और यह पेंशन पत्नी/पति/आश्रित के शेष जीवन तक मिलती रहेगी। दिवंगत सदस्य का आश्रित संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम की धारा (2) (कक) में यथानिर्धारित शर्तें पूरी करने के अध्यधीन परिवार पेंशन पाने का हकदार होगा। यदि पत्नी/पति/आश्रित, संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन

अधिनियम के अंतर्गत किसी प्रकार की पेंशन पाने का हकदार है तो फिर उसे परिवार पेंशन का हक नहीं होगा।

(तीन) **रेल यात्रा सुविधाः** पूर्व संसद सदस्य, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय द्वारा जारी किए गए पूर्व संसद सदस्य, पहचान पत्र के आधार पर अपने किसी साथी के साथ किसी भी रेलगाड़ी में वातानुकूलित टू-टियर दर्जे में अथवा वातानुकूलित वन-टियर दर्जे में अकेले यात्रा करने का हकदार है।

(चार) **स्टीमर सुविधाः** अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप का प्रतिनिधित्व कर चुके पूर्व संसद सदस्य, यथास्थिति, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप के बीच और द्वीपसमूह से भारत की मुख्य भूमि के बीच चलने वाले किसी स्टीमर की उच्चतम श्रेणी में लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय द्वारा उन्हें जारी अनुमति के आधार पर यात्रा करने के हकदार हैं।

(पांच) **चिकित्सा सुविधाएंः** केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में शामिल शहरों में निवास करने वाले पूर्व संसद सदस्य उसी दर पर अंशदान करके जिस दर पर वे संसद सदस्य के रूप में अंशदान करते थे, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभ उठा सकते हैं। पूर्व सदस्य को यह सुविधा सीधे महानिदेशक (के.स.स्वा.यो.), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त होती है।

(छह) **ग्रंथालय सुविधाः** पूर्व संसद सदस्य लोक सभा सचिवालय की बजट और भुगतान शाखा में 500 रु. की जमानत राशि जमा कर संसदीय ग्रंथालय से पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं।

(सात) **भारतीय संसदीय ग्रुप की सदस्यताः** पूर्व संसद सदस्य एक बार 500 रु. जमा करके आजीवन भारतीय संसदीय ग्रुप (आईपीजी) के सह-सदस्य बन सकते हैं।

निर्धारित अवधि से पूर्व विघटित लोक सभा के सदस्यों को सुविधाएं

- यदि कोई लोक सभा अपनी निर्धारित अवधि से पहले विघटित हो जाती है तो विघटित लोक सभा के सदस्य लोक सभा के विघटित होने की तारीख से परवर्ती लोक सभा के गठन की तारीख तक प्रयुक्त न की गई टेलीफोन कॉलों, बिजली और पानी की यूनिटों की खपत करने के हकदार हैं।

- इसके अतिरिक्त, यदि कोई सदस्य परवर्ती लोक सभा में पुनः निर्वाचित होकर आता है तो वह परवर्ती लोक सभा के प्रथम वर्ष के कोटे से बीच की अवधि के दौरान उपयोग में लाई गई अधिक टेलीफोन कॉलों, बिजली/पानी की यूनिटों को समायोजित कराने का हकदार है।

[संसद सदस्य वेतन और भत्ता (एमएसए) शाखा
कमरा सं. 405, चौथा तल, संसदीय सौध
दूरभाष: (011) 23034405, 23034407
ई-मेल: msabranch-lss@sansad.nic.in]

महत्वपूर्ण दूरभाष

अध्यक्ष	23017795, 23017914, 23792927 (फैक्स)
उपाध्यक्ष	23017455, 23034675
महासचिव	23017465, 23034255
केंद्रीयकृत पास जारी प्रकोष्ठ	23034672, 23035073
वितरण शाखा	23034992, 23034497
सदस्य वेतन और भत्ते शाखा	23034405, 23034407
सदस्य सेवा शाखा	23034452, 23034402
वेतन और लेखा कार्यालय	23034302
संसदीय सूचना कार्यालय	23034610
स्वागत कक्ष (संसद भवन)	23034632, 23034634, 23034636
स्वागत कक्ष (संसदीय सौध)	23034106, 23034122 (फैक्स)
स्वागत कक्ष (संसदीय ज्ञानपीठ)	23035020, 23035072
प्रथम उपचार (संसद भवन)	23017275, 23034617
चिकित्सा केंद्र (संसदीय सौध)	23034500, 23034100
महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड	23034520, 23014477, 23034040
एयरलाइन्स विमान परिवहन	23017670, 23034735
रेल परिवहन	23017369, 23034741
सड़क परिवहन	23868709
डाकघर (संसद भवन)	23017346
डाकघर (संसदीय सौध)	23014121
भारतीय स्टेट बैंक (संसद भवन)	23034653, 23017717, 23012647
भारतीय स्टेट बैंक (संसदीय सौध)	23034241, 23034477, 23792542 (फैक्स)

अनुक्रमणिका

अनुक्रमणिका

आवास

अतिथि, 6 17

लाइसेंस शुल्क, 5, 6

नियमित, 5

किराया, 5, 6

अस्थायी, 5

भत्ते

निर्वाचन क्षेत्र, 1

दैनिक, 1

कार्यालय व्यय, 2

यात्रा, 2-4

सेना वाहन बिक्री, 20

श्रव्य-दृश्य सेवा

वाद्य संगीत, 35

भाषा शिक्षण पाठ्यक्रम (श्रव्य-दृश्य कैसेट), 35

संसदीय कार्य, 35

संसदीय कार्यवाही, 35

देशभक्ति के गीत, 35

पृष्ठाधार टिप्पण, 29, 32

बैंकिंग सुविधाएं

एटीएम, 18

लॉकर्स, 18

भारतीय स्टेट बैंक, 17, 18

संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो
कम्प्यूटर जागरुकता कार्यक्रम, 37
हिंदी कक्षाएं, 37
व्याख्यान माला, 37
प्रबोधन कार्यक्रम, 37
सम्मेलन, 37
कार्यशाला, 37
कार पार्किंग लेबल, 13
खानपान सेवा
नॉर्थ एवेन्यू, 21–22
साउथ एवेन्यू, 21–22
वेस्टर्न कोर्ट हॉस्टल, 21–22
खानपान सेवा संसद भवन
कॉफी बोर्ड, 21
दिल्ली दुग्ध योजना, 21
जलपान कक्ष, 21
चाय बोर्ड, 21
केंद्रीय पास निर्गम प्रकोष्ठ, 13, 15
सामुदायिक केंद्र, 24
शिकायतें, 19, 41
कम्प्यूटर (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर) प्रबंधन शाखा, 12
कम्प्यूटर्स
पात्रता, 11
भुगतान/प्रतिपूर्ति, 12
अधिप्राप्ति, 12
कांस्टीट्यूशन क्लब और सामुदायिक केंद्र, 24–25

वाहन की सुविधाएं, 10
वितरण शाखा, 28
प्रलेखन, 33–34
    संसदीय प्रलेखन, 34
पति/पत्नी के लिए सुविधाएं, 3–4, 16, 43
निर्धारित अवधि से पूर्व लोक सभा विघटित होने पर सुविधाएं, 45
पूर्व सदस्यों को सुविधाएं
    आईपीजी जीवन पर्यन्त सदस्यता, 44
    ग्रंथालय की सदस्यता, 44
    चिकित्सा सुविधाएं, 44
    पेंशन/परिवार पेंशन, 43
    यात्रा, 44
फर्नीचर, 6–7
भारत का राजपत्र, 24
सामान्य सहायता, 26
शुभकामना कार्ड, 23
पहचान पत्र, 3
महत्वपूर्ण दूरभाष, 46
आयकर सुविधाएं, 10–11
भाषांतरण
    साथ-साथ भाषांतरण, 39
पास जारी करना
    केंद्रीय कक्ष, 14
    विशिष्ट दर्शक दीर्घा, 15
    वैयक्तिक सहायक/निजी सचिव, 14
    विशेष दीर्घा, 15
    दर्शक दीर्घा—उसी दिन, अगले दिन, 14

यात्रा
हवाई यात्रा, 3
वापसी यात्रा, 2
केंद्रीय भंडार, 22
रसोई गैस सेवा, 19
विधायी शाखा, 29
विधेयक, 29
विधायी समाचार, 29
लोक सभा इंट्रानेट, 34
लोक सभा टी.वी.
सांस्कृतिक कार्यक्रम, 38
वृत्तचित्र, 38
फिल्में, 38
सहभागिता, 38
चिकित्सा सुविधाएं
केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, 9, 39
प्राथमिक चिकित्सा, 9
चिकित्सा केंद्र, 9–10
सदस्य होमपेज, 30
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति, 41–42
शिकायतें, 41
विकास कार्य, 41
सदस्यों के लिए पूछ–ताछ बूथ, 12

संग्रहालय और अभिलेखागार, 36
    परिरक्षण, 36
संसदीय ज्ञानपीठ
    पुस्तकें प्राप्त करना, 31
    संग्रहण, 31
    कार्य समय, 30
    सदस्य सहायता, 31–32
संसदीय सूचना कार्यालय
    संप्रेषण और सूचनाएं, 27
    प्रपत्र, 27
संसदीय पत्र, 28
पासपोर्ट, 18
पेंशन, 43
शारीरिक रूप से अक्षम सदस्य
    विमान, 4
    रेल, 4
    सड़क, 4
    यात्रा, 4
प्रेस और जनसंपर्क, 38
प्रेस कतरन, 34
प्रकाशन फलक, 23
प्रकाशन
    मंत्रिपरिषद, 28
    डाइजेस्ट ऑफ सेन्ट्रल एक्ट्स, 29
    डाइजेस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव एंड कांस्टीट्यूशनल केसिज, 29

आईपीजी पत्रिका, 29
सदस्य सूची, 28
संसदीय पद्धति और प्रक्रिया, 29
जर्नल ऑफ पार्लियामेंट्री इन्फॉर्मेशन, 29
सदस्य परिचय, 29–30
आरएफ टैग
व्यक्तिगत–सदस्य, पति/पत्नी, 13
वाहन, 13
संदर्भ सेवा
संदर्भ टिप्पण, 32
ऑनलाइन संदर्भ सेवा, 33
तत्स्थानिक संदर्भ, 32
रेप्रोग्राफी, 34–35
शोध और सूचना प्रभाग, 29
वेतन
मासिक वेतन, 1
बिक्री शाखा, 23
सुरक्षा, 19–20
सोफा कवर/पर्दे, 6
लेखन सामग्री, 2, 23
स्टील के लॉकर्स, 22–23
स्टेनोग्राफिक सहायता, 2, 27
टाइपिंग, 27

दूरभाष
3 जी सुविधा/3 जी पैकेज, 8
अतिथि गृह, 6
स्थानीय कॉल, 7
एमटीएनएल/बीएसएनएल, 5
अस्थायी कनेक्शन, 5
परिवहन और यात्रा सुविधाएं
विमान यात्रा, 3–4
फैरी वाहन, 16
रेल, 2, 3, 16
टैक्सी और स्कूटर, 16
सड़क माइलेज, 4
स्टीमर, 44
पानी और बिजली
बिल, 18
अधिक खपत, 9
एनडीएमसी, 18–19
वेब पेज, 32
कल्याण, 39